न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 237 / 2022 जिला–अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. हितेन्द्र कलवार पुत्र श्री आनन्द प्रकाश कलवार
2. श्रीमती नीतू पत्नी श्री हितेन्द्र कलवार
   दोनों जाति कलाल, निवासी वार्ड नक्बर 3 रेगर बस्ती, सरवाड़ जिला अजमेर हाल निवासी शिव मंदिर के सामने, बजारी गली, ब्यावर जिला अजमेर।
3. ललित होतचन्दानी पुत्र श्री भगवानदास होतचन्दानी जाति सिंधी निवासी 433 / 11, न्यू कॉलोनी सुभाष नगर, अजमेर
4. श्रीमती नीतू भगतानी पत्नी श्री लजेश दरियानी
5. श्री विजय दरियानी पुत्र श्री जमनादास
   दोनों जाति सिंधी, निवासी त्रिलोक नगर, अजमेर।
6. मेहन ढालवानी पुत्र श्री लद्दाराम ढालवानी
7. हरी ढालवानी पत्नी श्री प्रकाश ढालवानी
   दोनों जाति सिंधी निवासी खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
8. सतीश जैन पुत्र श्री नत्थीलाल जैन
9. श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री विमल जैन
   दोनों जाति जैन निवासी तलिया रोड, धोलपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 26–10–2021
अन्तर्गत अपील संख्या 20 / 2020
बउनवान हितेन्द्र बनाम राज0 सरकार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री हरि सिंह गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9

निर्णय

दिनांकः— 01—11—2022

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—2021 द्वारा स्वीकार कर ग्राम दौराई के हाल खसरा नम्बर 473, 474, 477 राजस्व मानत्रित्र 1980—81 में वर्किंग खसरा नम्बर 430, 439, 440, 441 राजस्व मानचित्र 1970—71 के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पश्चात निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुशंषा के साथ प्रभारी अधिकारी प्राधिकरण को प्रेषित की गई जिनके द्वारा पूर्ण रूप से जांच किये जाने के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया तत्पश्चात दिनाक 11—5—2022 को अधिवक्ता के जरिये अपील प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता द्वारा अपील तैयार कर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा—5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि संबंधित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 6–8–2021 को अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि विवादित आराजियात अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजियात अजमेर–ब्यावर रोड संबंधी है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26–10–2021 से अपीलार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर ने अपनी अपील में कहीं भी राजस्व नक्शा सन् 1970–71 में अंकित इन्द्राजों को गलत नहीं बताया। उन्होंने प्रकरण के गुणावगुण पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। प्रस्तुत प्रकरण राजस्व नक्शा सन् 1970–71 को बहाल रखने का है उसमें अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का कोई रोल नहीं है। वर्तमान में विवादित आराजी कृषि भूमि है जिसका सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग का था जिसका अधिकार क्षैत्र तहसीलदार में निहित है। चूंकि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का गठन 1913 में हुआ था जिसका विस्तार ग्राम दौराई तक होने के कारण सामान्य रूप से जो भूमि ग्राम दौराई में थी वह अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के क्षेत्राधिकार के अधीन रही है। परन्तु इसका राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में संशोधन तथा भूमि के बेचान के बाद राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने के लिए नामान्तरकरण तस्दीक करना तथा जमाबंदी में खातेदार की हैसियत से नाम दर्ज करना आदि कार्य तहसीलदार अजमेर करता है। तहसीलदार अजमेर प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिन्होंने उक्त दुरूस्ती को सही माना है तथा वर्ष 1970–71 के अनुसार राजस्व नक्शे को बहाल करने की सिफारिश की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कतई उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे

अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम दौराई तहसील अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 473 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.17 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 477 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता–3 कुल रकबा 0.55 हैक्टर है। उक्त खसरा नक्बर 473 का साबिक खसरा नम्बर 441 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 474 का साबिक खसरा नम्बर 440 रकबा 0.17 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 477 का साबिक खसरा नम्बर 430 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नम्बर 439 रकाब 0.14 हेक्टर रहा है। तथा वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 430, 439, 440 एवं 441 रहे है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजियात दो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–12–2017 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था उसके पश्चात वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज चली आ रही है तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 3 लगायत 8 भी सहखतेदार दर्ज चले आ रहे है तथा वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रत्यर्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात को नक्शा ट्रेस में छोटा कर दिया जिसकी दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2021 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात वर्तमान में अधिकार अभिलेख में अपीलार्थी के नाम अंकित होने से समस्त स्वामित्व एवं हक अधिकार अपीलार्थी में निहित थे तथा अपीलार्थी आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वर्तमान प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को अपने उक्त प्रार्थना पात्र में पक्षकार मुर्तिब नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय से उक्त आदेश दिनांक 26–10–2021 अपने पक्ष में पारित करवा लिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में दिनांक 6–8–2021 में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि विवादित आराजियात में व्यथित पक्षकार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर है तथा इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि विवादित आराजियात अपीलार्थी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजियात अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजियात अजमेर–ब्यावर रोड संबंधी है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजर

अन्दाज कर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही संबंधित रोड को ही छोटा किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो जनहित के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि नवीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 473 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.17 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 477 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता–3 कुल रकबा 0.55 हैक्टर है। उक्त खसरा नक्बर 473 का साबिक खसरा नम्बर 441 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 474 का साबिक खसरा नम्बर 440 रकबा 0.17 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 477 का साबिक खसरा नम्बर 430 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नम्बर 439 रकाब 0.14 हेक्टर रहा है। तथा वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 430, 439, 440 एवं 441 रहे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि भिन्न–भिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया।

उनका यह भी तर्क है कि वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 430, 439, 440 व 441 की जो स्थिति राजस्व नक्शा सन् 1970–71 में दर्शाई गई है वह मौके अनुसार अंकित थी और वर्तमान प्रत्यर्थीगण राजस्व नक्शा सन् 1970–71 में दर्शायी सीमाओं के अनुसार मौके पर काबिज थे परन्तु अजमेर तहसील ने भू–प्रबन्ध का कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग में बिना पूर्व के राजस्व रेकार्ड को देखे बिना एवं बिना विधिक प्रक्रिया के वर्ष 1970–71 के नक्शें में संशोधन कर दिया जिससे वर्तमान प्रत्यर्थीगण की वर्ष 1970–71 के नक्शे के अनुसार प्रत्यर्थीगण द्वारा जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी उनकी सीमाओं व लम्बाई–चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 428 की सीमा वर्तमान प्रत्यर्थीगण की सीमा के अन्दर कर दी गई यदि उक्त अवधिक नक्शा वर्ष 1980–81 को कायम रखा गया तो भविष्य में विवाद उत्पन्न होंगे। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थीगण द्वारा ग्राम दौराई के हाल खसरा नम्बर 473, 474, 477 के राजस्व मानचित्र (1980–81) में वर्किंग खसरा नम्बर 430, 439, 440 व 441 के राजस्व मानत्रित्र (1970–71) के अनुसार दुरूस्ती चाही गई है। उक्त खसरा नम्बरान के वर्किंग मानचित्र एवं नवीन मानचित्र के तुलनात्मक मिलान से स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बरान का रकबा हाल मानचित्र में गत मानचित्र की अपेक्षा कम अंकित हुआ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा वांछित दुरूस्ती से प्रत्यर्थीगण की आराजी से लगता हुआ खसरा नम्बर 478 में से समायोजन होगा। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पटवारी व तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्व नक्शा सन् 1970–71 में अंकित इन्द्राजों को बहाल करने का आदेश दिनांक 26–10–2021 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः

अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2021 द्वारा स्वीकार कर ग्राम दौराई के हाल खसरा नम्बर 473, 474, 477 राजस्व मानत्रित्र 1980–81 में वर्किंग खसरा नम्बर 430, 439, 440, 441 राजस्व मानचित्र 1970–71 के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को आदेश पारित कर दिये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11–8–2021 में उल्लेखित किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वांछित दुरूस्ती से प्रत्यर्थीगण की आराजी से लगता हुआ खसरा नम्बर 478 में से समायोजन होगा जो कि राजस्व रेकार्ड अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को भंलीभांति विदित हो गया था कि उक्त खसरा नम्बर 478 की भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम है, तो अधीनस्थ न्यायालय को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें विधिवत सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 3(1067) नविवि/3/2013 दिनांक 14–08–2013 से नगर सुधार न्यास अजमेर को क्रमोन्नत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का गठन होने एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानानुसार अजमेर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र व्यापक होने के कारण ग्राम दौराई भी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सीमा में सम्मिलित हो गया था तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण की सीमा में होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार बनाकर सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर ग्राम दौराई के हाल खसरा नम्बर 473, 474, 477 राजस्व मानत्रित्र 1980–81 में वर्किंग खसरा नम्बर 430, 439, 440, 441 राजस्व मानचित्र 1970–71 के अनुसार राजस्व मानचित्र में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 बउनवान श्री हितेन्द्र कलवार बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, अजमेर से मौके की जांच करवाकर पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करे तथा अपीलार्थी (अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर) को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर